

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बस्ती अनुमोदित दिनांक-12.12.2017 में प्रथम संशोधन हेतु प्रस्ताव (ड्राफ्ट)

कार्यालय-ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक-15.01.2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में परिष्कित संख्या:-10 के अनुसार उप खनिज साधारण बालू हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, बस्ती के लिए तैयार करते हुये दिनांक-12.12.2017 को समिति (डी0ई0आई0ए0ए0) द्वारा अनुमोदित किया गया था। जिसमें पूर्व में दिर्घ खनन पट्टों के माध्यम से परिहार पर उपलब्ध कराये जाने हेतु 07 बालू खनन क्षेत्र चिन्हित हैं। वर्तमान में 02 से बालू खनन क्षेत्र का नियमानुसार चिन्हित करते हुये सक्षम विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	तहसील	ग्राम/बालू खनन क्षेत्र	गाटा सं०	क्षेत्रफल (हे० में)	उप खनिज का नाम	खनन योग्य मात्रा (घनमी० में)
1	बस्ती	महुआपार खुर्द खण्ड-02	391क/67	10.95	साधारण बालू	164250
2	हरैया	माझा अखनपुर	505 व 1क/23	13.00	साधारण बालू	195000

उपरोक्त 02 बालू खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक-12.12.2017 में प्रथम संशोधन करते हुये, सम्मिलित किया जाना है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक-15.01.2016 के परिष्कित संख्या:-10 में निम्नवत् उल्लेख है:-

"जिले में प्रत्येक लघु खनिज के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पृथक् रूप से तैयार की जायेगी और इसके प्रारूप को कोलेक्टोरेट में इसकी प्रति को रखते हुए पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा तथा इसे जिले की वेबसाइट पर इक्कीस दिन के लिए पोस्ट किया जाएगा। प्राप्त की गई टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें डीईआईएए द्वारा छः मास के भीतर अंतिम रूप दी जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।"

अतः आम जनमानस से अपेक्षा है कि उपरोक्त 02 बालू खनन क्षेत्रों के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव नियत तिथि तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा की किसी को उक्त 02 बालू खनन क्षेत्रों के लिए कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रथम संशोधन करते हुये उक्त 02 बालू खनन क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये परिहार पर उठाये जाने हेतु उपलब्ध घोषित कर दिया जायेगा।

(डॉ० राज शेखर),
जिलाधिकारी,
बस्ती।

कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती।

पत्रांक- 649/खनन सहायक/2019-20

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०) बस्ती।
4. प्रभागीय वन अधिकारी बस्ती।
5. उप जिलाधिकारी बस्ती/हरैया/भानपुर/रुधौली।
6. तहसीलदार बस्ती/हरैया/भानपुर/रुधौली।
7. अधिशाषी अभियन्ता बाढ कार्य खण्ड प्रथम बस्ती।
8. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या।
9. खान निरीक्षक बस्ती।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बस्ती को इस निर्देश के साथ की उपरोक्त प्रस्ताव (ड्राफ्ट) को इक्कीस दिनों के लिए जिले के वेबसाइट पर आम जनमानस हेतु उपलब्ध कराते हुये आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय खनन अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. नाजिर सदर, कलक्ट्रेट बस्ती को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

दिनांक 05/12/2019

(डॉ० राज शेखर),
जिलाधिकारी,
बस्ती।